

मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग  
::मंत्रालय::

// आदेश //

भोपाल, दिनांक फरवरी, 2015

क्रमांक एफ-20-18/2000/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन एवं भारत ओमान रिफायनरी के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू दिनांक 06.05.2005 में कंडिका-10 में "The Stamp Duty and Tax(es) payable on this Memorandum entered into between the the Government of Madhya Pradesh and BORL and pursuant to this Memorandum shall be paid and borne by the Government of Madhya Pradesh" के स्थान पर "The Stamp Duty and Registration Fees payable on this Momorandum entered in to between the Government of Madhya Pradesh and BORL and pursuant to this Memorandum shall be paid and borne by the Government of Madhya Pradesh" प्रतिस्थापित किया जावे तथा भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड को वेट टेक्स ऋण की प्रतिपूर्ति हेतु निष्पादित एग्रीमेंट दस्तावेजों को पंजीकृत कराने में व्यय हुये राशि रूपये 30,00,50,200( रूपये तीस करोड पचास हजार दौ सौ मात्र) की प्रतिपूर्ति की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



( मोहम्मद सुलेमान )

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग